प्रेषिका,

नित्या पाण्डेय,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय संख्या–9, लखनऊ।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान प्रधान न्याायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय, लखनऊ।

विषयः– पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु अनाप्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन संख्या–122 दिनांकित 02.11.2019 पर एडमिन ए–4 द्वारा पोर्टल पर लगायी गयी आपत्ति के निस्तारण में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी द्वारा पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांकित 02.11.2019 ई–सर्विसेज जे0ओ0 पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था जिसका आवेदन संख्या 122 है।

एडमिन ए–4 के द्वारा पोर्टल पर उक्त आवेदन संख्या–122 पर आपत्ति अंकित करते हुए प्रार्थिनी को धारा 6(2) पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत यथावश्यक शपथ पत्र/घोषणा पत्र की मूल प्रति (हार्ड कापी) ऑफलाईन मोड से व प्रार्थिनी के आश्रित पारिवारिक सदस्यों के संबंध में आवश्यक विवरण तथा प्रार्थिनी के 4 फोटोग्राफ, जिसमें से एक फोटोग्राफ प्रार्थिनी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित हो, को ऑफलाईन मोड से प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त के अनुपालन में प्रार्थिनी यथा अपेक्षित शपथ पत्र, पारिवारिक सदस्य के संबंध में विवरण तथा स्वयं के 4 फोटोग्राफ संलग्न कर महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर रही है।

सादर।

भवदीया,

दिनांक 02–03–2021

(नित्या पाण्डेय)
अपर प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय संख्या–9, लखनऊ।
आई0डी0 नंबर–यू0पी0 1584